प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2019

विषय: अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयानुसार भूमि क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 696/ना0उ0नि0/2019 दिनांक 15 मार्च, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपके द्वारा शासनादेश संख्या-25/2019/436/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 05 मार्च 2019 द्वारा स्वीकृत रू0 2,00,00,00,000/- (रूपए दो अरब मात्र) की धनराशि को लेखाशीर्षक 8443-सिविल डिपाजिट में जमा कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अयोध्या स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने एवं अन्य सम्बन्धी कार्यों हेतु उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 05 मार्च 2019 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 2,00,00,00,000/- (रूपए दो अरब मात्र) की धनराशि को लेखाशीर्षक 8443-सिविल डिपाजिट में जमा कराने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। कृपया तदनुसार जिलाधिकारी, अयोध्या को अवगत कराने का कष्ट करें।

3- उक्त के अतिरिक्त 25/2019/436/छप्पन-2019-11/2013 दिनांक 05 मार्च 2019 में उल्लिखित शर्ते/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 36/2019/655(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या।
4- जिलाधिकारी, अयोध्या।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, अयोध्या।
6- निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13
8- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।